

इसे वेबसाईट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 366]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 14 अगस्त 2013—श्रावण 23, शक 1935

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2013

#### शुद्धि-पत्र

क्र. 7556--इककीस-अ (प्रा.)—शुद्धि-पत्र “मध्यप्रदेश राजपत्र” (असाधारण) दिनांक 5 फरवरी सन् 2013 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 12 सन् 2013) में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में वर्णित उन शब्दों तथा चिन्ह के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिए गए शब्द तथा चिन्ह पढ़े जाएं :—

#### सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द तथा चिन्ह (1)	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिनमें वे शब्द तथा चिन्ह आए हैं (2)	शुद्ध शब्द तथा चिन्ह जो कि पढ़े जाएं (3)
1. स्थापित किया	पृष्ठ 92(2)	पंक्ति 17
2. दे दिया	पृष्ठ 92(4)	पंक्ति 07
3. अतिष्ठित	पृष्ठ 92(4)	पंक्ति 31
4. संचालक मंडल	पृष्ठ 92(7)	पंक्ति 34
5. बातिल न कर दिया जो	पृष्ठ 92(7)	पंक्ति 35
6. नियुक्त किया गया	पृष्ठ 92(7)	पंक्ति 38
7. अध्याय पांच क	पृष्ठ 92(9)	पंक्ति 02
8. उसे अधिकारी	पृष्ठ 92(10)	पंक्ति 15
9. बीमाकृत बैंक के मामले में निक्षेप बीमा निगम का पुनर्भुगतान	पृष्ठ 92(11)	पंक्ति 26
10. धारा २१	पृष्ठ 92(11)	पंक्ति 33
11. की ७४ में	पृष्ठ 92(11)	पंक्ति 33

राजेश यादव, अपर सचिव.